

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ****आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या- 2430 वर्ष 2026**

नैमिष कुमार मिश्रा

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से एवं एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : प्रवीन कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, अनूप कुमार उपाध्याय

न्यायालय संख्या – 16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और पत्रावली पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया।

भा०ना०सु०सं० की धारा 528/ दं०प्र०सं० 482 के तहत वर्तमान आवेदन में सत्र परीक्षण संख्या 1428/23, सीएनआर संख्या यूपीएचआर010071612023 "राज्य बनाम नैमिष कुमार मिश्रा" की धारा 323 , 504 , 506 भा०दं०सं० और धारा 3(2)(व) और धारा 3(1)(द) के तहत माननीय विशेष न्यायालय एससी/एसटी अधिनियम, हरदोई में लंबित संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है, जो प्र०सू०रि० संख्या 0279/2023, पुलिस स्टेशन बाघौली, जिला हरदोई में दिनांक 12.09.2023 को दायर आरोपपत्र से उत्पन्न हुई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध प्रकट नहीं हुआ है और वर्तमान अभियोजन उत्पीड़न के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण इरादे से स्थापित किया गया है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्र०सू०रि० में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया आवेदकों के खिलाफ अपराध बनता है। पूर्व-विचारण चरण में आवेदकों की बेगुनाही का फैसला नहीं किया जा सकता। इसलिए, आवेदक किसी भी रियायत के पात्र नहीं हैं।

पत्रावली पर मौजूद सामग्रियों के अवलोकन और मामले के तथ्यों को देखने और बार में दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद, ऐसा नहीं लगता है कि आवेदकों के खिलाफ कोई अपराध स्थापित नहीं होता है।

कार्यवाही शुरू करने के चरण में निचली अदालत से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह अभिलेख में रखे गए साक्ष्यों की विस्तृत जांच और मूल्यांकन करे; उसे केवल यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने उन दिशा-निर्देशों को भी निर्धारित किया है जिनके तहत उच्च न्यायालय निम्नलिखित मामलों में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है और उसे रद्द कर सकता है:-(i)

आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1960 एससी 866, (ii) हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426, (iii) बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा , 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 192 और (iv) जंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सराफुल हक और अन्य , (प्रस्तर-10) 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283।

उपरोक्त निर्णयों से सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक चरण में कार्यवाही रद्द करने की कानूनी

स्थिति स्पष्ट कर दी है। न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली कसौटी यह है कि क्या निर्विवाद

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आरोप प्रथम दृष्टया अपराध को सिद्ध करते हैं और क्या अंततः दोषसिद्धि की संभावना कम है तथा आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा। **एस.डब्ल्यू. पलंकटकर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य , 2002 (44) एसीसी 168** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि आपराधिक कार्यवाही रद्द करना एक अपवाद है, नियम नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों में ही तीन परिस्थितियाँ निर्धारित हैं जिनके अंतर्गत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है: (i) संहिता के अंतर्गत किसी आदेश को प्रभावी करना, (ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना; (iii) न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करना। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ व्यापक हैं, लेकिन वास्तविक और ठोस न्याय प्रदान करने के लिए इनका प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, जिसके लिए न्यायालय अस्तित्व में है।

उच्च न्यायालय जांच शुरू नहीं करेगा क्योंकि यह निचली अदालत का कार्य है। इस मामले में आरोपपत्र/आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप को अपवाद नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे प्रथम दृष्टया अपराध का सिद्ध होना स्पष्ट होता है। परिणामस्वरूप, आरोपपत्र/आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका अस्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता को उचित समय पर सभी आपत्तियाँ उठाने का पर्याप्त अवसर प्राप्त है।

सर्वोच्च न्यायालय ने **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2021) 10 एससीसी 773** के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"3. हम दिशानिर्देशों को स्वीकार करने और निचली अदालतों के लाभ के लिए उन्हें न्यायालय के आदेश का हिस्सा बनाने के इच्छुक हैं। दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

"अपराधों की श्रेणियाँ/प्रकार:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

क) श्रेणी ख और घ में न आने वाले वे अपराध जिनमें 7 वर्ष या उससे कम की कारावास की सजा हो सकती है।

ख) वे अपराध जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा हो सकती है।

ग) विशेष अधिनियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध जिनमें जमानत के लिए कड़े प्रावधान हैं, जैसे एनडीपीएस (धारा 37), पीएमएलए (धारा 45), यूएपीए (धारा 43डी(5), कंपनी अधिनियम, 212(6), आदि।

घ) आर्थिक अपराध जो विशेष अधिनियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

आवश्यक शर्तें

1) जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया।

2) जांच में शुरू से अंत तक सहयोग किया, जिसमें बुलाए जाने पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना भी शामिल है। 1) जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया।

(ऐसे आरोपी को आरोपपत्र के साथ अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है (सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 615)

श्रेणी क

आरोपपत्र/शिकायत दाखिल करने के बाद संज्ञान लेना

क) प्रथम सुनवाई में साधारण समन/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति की अनुमति सहित।

ख) यदि ऐसा अभियुक्त समन तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो शारीरिक उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ग) जमानती वारंट जारी होने के बावजूद पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट।

घ) यदि अभियुक्त की ओर से एनबीडब्ल्यू के निष्पादन से पहले ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और अभियुक्त अगली सुनवाई की तारीखों पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने का वचन देता है, तो एनबीडब्ल्यू को अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिए बिना रद्द किया जा सकता है या जमानती वारंट/समन में परिवर्तित किया जा सकता है।

ड) ऐसे अभियुक्तों की जमानत याचिका पर उपस्थिति के आधार पर, अभियुक्त को शारीरिक हिरासत में लिए बिना या जमानत याचिका पर निर्णय होने तक अंतरिम जमानत देकर निर्णय लिया जा सकता है।

श्रेणी ख/घ

जारी प्रक्रिया के अनुसार अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर जमानत आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।”

श्रेणी ग

श्रेणी ख और घ के समान, एनडीपीएस के तहत जमानत के प्रावधानों के अनुपालन की अतिरिक्त शर्त के साथ, धारा 37 , 45 पीएमएलए, 212(6) कंपनी अधिनियम, यूएपीए की धारा 43 डी(5), पास्को आदि।

4. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्रेणी क पुलिस मामलों और शिकायत मामलों दोनों से संबंधित है।

5. निचली अदालतें और उच्च न्यायालय जमानत आवेदनों पर विचार करते समय उपरोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेंगे। विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह चेतावनी दी गई

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हैं कि जहां आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है, जांच अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुए हैं, और न ही समन का जवाब दिया है, जहां अदालत को लगता है कि मुकदमे को पूरा करने के लिए आरोपी की न्यायिक हिरासत आवश्यक है, जहां आगे की जांच, जिसमें संभावित बरामदगी भी शामिल है, की आवश्यकता है, वहां उपरोक्त दृष्टिकोण उन्हें लाभ नहीं दे सकता है, जिससे हम सहमत हैं।

6. श्री लूथरा द्वारा प्रस्तुत एक पहलू पर भी हमारा ध्यान गया है कि जमानत पर विचार करने के लिए नोटिस जारी करते समय, निचली अदालत जांच के दौरान आरोपी के आचरण को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत देने से नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि जांच के दौरान आरोपी के आचरण के कारण गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं थी। इस पहलू पर भी हम अपनी सहमति देते हैं और स्वाभाविक रूप से अंततः विचार की जाने वाली जमानत याचिका वैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित होगी।"

इस प्रकार, मामले की योग्यता पर कुछ भी टिप्पणी किए बिना आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान आवेदन को अंतिम रूप से इस शर्त पर **निपटारा** किया जाता है कि आवेदक आज से 30 दिनों के भीतर निचली अदालत के समक्ष धारा 439 दं० प्र० सं० के तहत उचित नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और यदि ऐसा आवेदन उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो निचली अदालत लोक अभियोजक की सुनवाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल (उपरोक्त)** मामले में निर्धारित कानून के अनुसार सख्ती से उसका निपटारा करने के लिए बाध्य होगी।

मार्च 25, 2026

एकेएस/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।